

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक एफ 4- 6/2010/23/वि.यो.आ.सां.सं. — जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 30 (2) (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक 87/2002/23/यो.आ.सां. दिनांक 25 जनवरी, 2002 में विहित प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) एवं प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण पत्र) के हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के अलग-अलग प्रारूपों के स्थान पर एतद्वारा द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) और प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण-पत्र) संलग्न प्रपत्रानुसार प्रतिस्थापित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा उपरि उक्त

आर. एम. विश्वकर्मा, राज्यपाल

सं.

Form - 5

No.



छत्तीसगढ़ शासन
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
(DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS)
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल स्रोत से ली गई है जो कि (स्थानीय स्रोत)

तहसील जिला राज्य के क्षेत्र में जारी किया गया है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (Local area/local body) of Tehsil/Block District of State/Union territory

नाम/Name लिंग/Sex

जन्म तिथि/Date of Birth जन्म स्थान/Place of Birth

माता का नाम/Name of Mother

पिता का नाम/Name of Father

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/ माता पिता का स्थायी पता/

Address of parents at the time of birth of the child: Permanent address of parents:

.....

.....

पंजीकरण संख्या/Registration No. पंजीकरण दिनांक Date of Registration

टिप्पणी/Remarks (if any) अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

जारी करने की तिथि/Date of issue: अधिकारी का पता Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु को पंजीकरण सुनिश्चित करें"

सं. 1/10

Form - 6



छत्तीसगढ़ शासन
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(विन. योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)



आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

यह मृत्यु प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया है।

Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
जिला जिला राज्य के रजिस्ट्रार
के पास है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the
record of the local area/body of Tehsil of
District of State/Union territory

नाम/Name लिंग/Sex
मृत्यु तिथि/Date of death मृत्यु स्थान/Place of death
माता का नाम/Name of Mother
पिता का नाम/Name of Father/Husband
मृत्यु के समय का पता/
Address of deceased at the time of death:
मृत्यु का स्थायी पता/
Permanent address of the deceased:
पंजीकरण संख्या/Registration No. पंजीकरण दिनांक/Date of Registration
टिप्पणी/Remarks (if any)
आम्रित की तिथि/Date of issue प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

भाहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।